

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

पत्रांक : २०/संयुक्त रजिस्ट्री/उ०प्र०स०आ०/2017,

दिनांक : १५ फरवरी, 2017

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के प्रतिलिपि अनुभाग की कार्य प्रणाली

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में दायर शिकायतों/अपीलों पर राज्य सूचना आयुक्तगण द्वारा पारित आदेशों की नकल पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु आयोग में प्रतिलिपि अनुभाग कार्यरत है। प्रतिलिपि अनुभाग की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या ६२/सचिव/२०१६ दिनांकित २२.०६.२०१६ एवं कार्यालय आदेश संख्या— २६२/सचिव/२०१६ दिनांकित—०६.०९.२०१६ को इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि से अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती है।

२— प्रतिलिपि अनुभाग आयोग के रजिस्ट्रार के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।

३— किसी पक्षकार अथवा पक्षकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी शिकायत/अपील में, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट-१ में दिये गये प्रारूप पर प्रतिलिपि अनुभाग को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

४—यदि पक्षकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रतिनिधि को, नकल आवेदन के साथ, पक्षकार द्वारा दिया गया प्राधिकार—पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्राधिकार—पत्र में यह सुन्पष्ट उल्लिखित होना चाहिए कि पक्षकार द्वारा आवेदक को नकल आवेदन प्रस्तुत करने हेतु तथा नकल प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया जा रहा है।

५—प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किसी एक आवेदन—पत्र पर एक ही आदेश की प्रति मांगी जायेगी। यदि एक से अधिक आदेश की प्रतिलिपि वांछित है, तो प्रत्येक आदेश की प्रतिलिपि हेतु अलग—अलग आवेदन—पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। किसी पक्षकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को (दोनों को प्राप्त नकले सम्मिलित करते हुए) किसी एक आदेश की अधिकतम दो नकले ही प्राप्त करायी जायेगी।

गोमती
राज्य
/२०.०२.२०१७

6— किसी आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर शुल्क ₹0 10/- निर्धारित किया जाता है। यह शुल्क आवेदन पत्र के साथ ₹0 10/- मूल्य के कोर्ट फी स्टाम्प के रूप में नृथी किया जायेगा।

7— पक्षकारों को, उनके द्वारा आयोग में दायर शिकायतों/अपीलों पर पारित अन्तिम आदेश की नकल, प्रतिलिपि अनुभाग द्वारा जारी की जायेगी। किसी ऐसी शिकायत/अपील जो निर्णीत हो चुकी है तथा जिससे सम्बन्धित पत्रावली अभिलेखागार में संरक्षित है, में पारित किसी 'अन्तरिम आदेश' की नकल भी प्रतिलिपि अनुभाग द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसी शिकायत/अपील जिससे सम्बन्धित पत्रावली अभी सुनवाई कक्ष से अभिलेखागार को प्राप्त नहीं हुई है, में पारित किसी 'अन्तरिम आदेश' की नकल सम्बन्धित सुनवाई कक्ष के अहलमद द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। अतः यदि किसी आवेदक द्वारा ऐसी किसी शिकायत/अपील में पारित किसी 'अन्तरिम आदेश' की नकल प्राप्त करने हेतु प्रतिलिपि अनुभाग में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिलिपि अनुभाग के कार्मिक द्वारा आवेदन—पत्र वापिस करते हुए आवेदक को परामर्श दिया जायेगा कि वह इस आवेदन—पत्र को सम्बन्धित सुनवाई कक्ष के अहलमद को प्राप्त कराये।

8—किसी आवेदक द्वारा डाक के माध्यम से भी किसी शिकायत/अपील में पारित अंतिम आदेश की प्रति सांगी जा सकती है। नियमानुसार पूर्ण आवेदन डाक के माध्यम से प्राप्त होने पर, प्रतिलिपि अनुभाग द्वारा, नकल तैयार होने के उपरान्त,

- (i) यदि आवेदक द्वारा अपना पता लिखा तथा डाक टिकट लगा लिफाफा आवेदन के साथ सलंगन किया गया है, तो तैयार नकल उस लिफाफे में रखकर आवेदक को भेज दी जायेगी।
- (ii) यदि ऐसा लिफाफा आवेदक द्वारा नहीं भेजा गया है तो उक्त नकल, आवेदक को अदत्त (अनपेड़) डाक से भेजी जायेगी।

9—यदि कोई नकल आवेदन, बिना प्रावधानित शुल्क स्टाम्प के प्रस्तुत किया गया है अथवा आवेदन की प्रविष्टियां अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण हैं तो ऐसे आवेदन को, यदि आवेदक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है तो उसे वापस कर दिया जायेगा और यदि ऐसा आवेदन डाक द्वारा प्राप्त है तो इसकी सूचना आवेदक को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये पता लिखे व डाक टिकट लगे लिफाफे में रख कर, अन्यथा अदत्त डाक (अनपेड़ पोस्ट) से भेज दी जायेगी।

10—प्रतिलिपि अनुभाग के कार्मिक द्वारा नकल आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उक्त आवेदन का विवरण परिशिष्ट-2 में दिये गये प्रारूप पर तैयार किये गये नकल रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा आवेदक को परिशिष्ट-3 में दिये गये प्रारूप पर रसीद उपलब्ध करायी जायेगी। इस रसीद में अन्य विवरण के अतिरिक्त वह तिथि भी अंकित की जायेगी, जिस तिथि पर आवेदक-प्रतिलिपि अनुभाग से वांछित प्रतिलिपि प्राप्त करेगा। नकल उपलब्ध कराने की तिथि नकल आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि के पन्द्रह दिन बाद की होगी। यदि उक्त दिनांक पर कार्यालय अवकाश होता है तो नकल उसके अगले कार्य दिवस पर उपलब्ध करायी जायेगी।

11—उपर्युक्तानुसार नकल आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरान्त, प्रतिलिपि अनुभाग के कार्मिक द्वारा अभिलेखागार के प्रभारी लिपिक को परिशिष्ट-4 के प्रारूप पर मांग—पत्र प्रेषित किया जाएगा। अभिलेखागार द्वारा पत्रावली, विलम्बतम दो कार्य दिवस के भीतर, प्रतिलिपि अनुभाग को प्रेषित की जाएगी। यदि पत्रावली अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है तो इसकी सूचना अविलम्ब अभिलेखागार के सम्बन्धित कार्मिक द्वारा प्रतिलिपि अनुभाग को भेज दी जाएगी। जिन आवेदन पत्रों से संबन्धित पत्रावली अभिलेखागार से प्राप्त की गई है उनमें प्रतिलिपि अनुभाग द्वारा वांछित आदेश की नकल तैयार करके निर्धारित तिथि पर आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्राप्ति की पुष्टि हेतु आवेदक के हस्ताक्षर उसके द्वारा दिये गये नकल आवेदन पत्र तथा नकल रजिस्टर पर करवाये जायेंगे व नकल आवेदन पत्र को पत्रावली पर संरक्षित रखा जायेगा। आवेदक को नकल उपलब्ध कराने की तिथि नकल रजिस्टर पर सुसंगत कॉलम में दर्ज की जायेगी।

12—यदि शिकायत/अपील की पत्रावली सुनवाई कक्ष से अभिलेखागार में प्राप्त नहीं हुई है तो प्रतिलिपि अनुभाग द्वारा नकल आवेदन पत्र की छाया प्रति संबंधित सुनवाई कक्ष को निर्धारित तिथि तक वांछित नकल उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित प्रेषित की जायेगी तथा इसका विवरण नकल रजिस्टर में निर्धारित कॉलम में अंकित किया जायेगा। प्रतिलिपि अनुभाग द्वारा सुनवाई कक्ष को प्रेषित किये जाने वाले अनुरोध पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-4 पर दिया गया है।

13—सुनवाई कक्ष से वांछित नकल प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित तिथि पर यह नकल आवेदक को, उसके द्वारा रसीद प्रस्तुत करने पर, उपलब्ध करवायी जायेगी तथा प्राप्ति की पुष्टि हेतु उसके हस्ताक्षर नकल आवेदन पत्र तथा नकल रजिस्टर पर लिये जायेंगे तथा नकल आवेदन


पत्र को पत्रावली पर संरक्षित रखा जायेगा। आवेदक को नकल उपलब्ध कराने की तिथि नकल रजिस्टर के सुसंगत कॉलम में दर्ज की जायेगी।

14—यदि निर्धारित तिथि पर नकल तैयार नहीं हो पाती है तो आवेदक के पास उपलब्ध नकल आवेदन पत्र की रसीद पर नकल उपलब्ध कराने की नई तिथि अंकित की जायेगी, जो पुरानी तिथि से 15 दिन आगे की होगी, तथा इसको प्रतिलिपि अनुभाग के कार्मिक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

15—प्रतिलिपि अनुभाग द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख को पिछले माह में प्राप्त नकल आवेदनों के निस्तारण के बारे में परिशिष्ट-5 पर दिये गये प्रारूप पर रजिस्ट्रार को आख्या प्रेषित की जायेगी। रजिस्ट्रार द्वारा यह आख्या प्रत्येक माह की 15 तारीख तक मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

16—जिन नकल आवेदनों से सम्बन्धित नकले आवेदकों को प्राप्त करा दी गई है अथवा डाक द्वारा भेज दी गई है उन नकल आवेदनों को, रजिस्ट्रार की अनुमति के उपरान्त, नकल प्राप्त होने अथवा डाक द्वारा भेजे जाने, जैसा मामला हो, की तिथि से छः माह पश्चात विनष्ट कर दिया जायेगा।

17—यह आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत पारित किया गया है तथा यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(आवेद उस्मानी)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

उपरोक्त आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—समस्त मा० राज्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० सूचना आयोग।
- 2—सचिव, उ०प्र० सूचना आयोग।
- 3—रजिस्ट्रार, उ०प्र० सूचना आयोग।
- 4—प्रभारी प्रतिलिपि अनुभाग को अनुपालनार्थ।
- 5—अधिष्ठान अनुभाग, उ०प्र० सूचना आयोग।
- 6—गार्ड फाइल।


(राघवेन्द्र विक्रम सिंह)



नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र

परिशिष्ट—१

स्टाम्प टिकट यही नहीं करे
(विपक्व मर्ही)

सेवा में,
रजिस्ट्रार,
सरोग सूचना आयोग,
लखनऊ।

प्राग्नालय प्रयोग हेतु

नकल प्राप्ति पत्र यज्ञोक्तव्य	
१०	

ग्राहक,

कृपया प्रार्थी की निम्न सर्वित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें:-

- १-शिक्षायत / अधील सं०
- २-शिक्षायतकर्ता / अधीलकर्ता का नाम
- ३-जन सूचना अधिकारी का पदनाम व पता
- ४-वाय निर्णीत अधवा अनिर्णीत
- ५-पिछली पेशी की तारीख, यदि कोई हो
- ६-अगली पेशी की तारीख, मिथि कोई हो
- ७-अंतिम आदेश परि विधि, यदि कोई हो
- ८-मात्र राज्य सूचना आयुक्ता का नाम,
जिनके पाठी भासला विचाराली है या
जिनके द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया।
- ९-आदेश जिसकी प्रतिलिपि पाँचिंह है का दिनांक
एवं प्रकार (अंतिम/अंतिम)
- १०-यथा आवेदन पक्काप के प्राधिकृत प्रतिलिपि द्वारा
प्रस्तुत किया गया है। यदि यही तो
प्राप्तिकार— पत्र संलग्न करें।
- ११-यथा नकल जाक द्वारा भाँति है (हाँ/नहीं)
(यदि 'हाँ' ही आवेदक, 4.5 x 10 इंच आवेदक का लिपाफा,
जिस पर उसका पूर्ण जाक पता लिखा हो तथा आवेदित जाक
टिकट लगा हुआ हो, तो यही एक से अधिक जाक विवरण दर्शाने
वालिग करें। यदि पूरीकृत जाक हेतु जाक टिकट प्रधानी मर्ही
पाए गए हो साधारण जाक से नकल मौजी जाएगी।)

मेरे आवेदक, जिसकी नकल आई गई है, की नकल पूर्व में एक से अधिक जाक प्राप्ता नहीं पाई गई है।

आवेदन की तिथि : _____

आवेदक का पूरा नाम _____

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर _____

पत्र दाता नाम सूचकाल नं० : _____

उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ

प्रतिलिपि अनुभाग

नकल आवेदन पत्र की रसीद

नकल आवेदन पत्र पंजीकरण संख्या दिनांक

श्री..... (आवेदक) द्वारा शिकायत/अपील सं0..... से

सम्बन्धित (आदेश का विवरण) की नकल उपलब्ध कराने हेतु
प्रस्तुत आवेदन पत्र प्राप्त किया गया।

आवेदक को वांछित नकल दिनांक को प्रदान की जायेगी।

प्रतिलिपि अनुभाग के कार्मिक
के हस्ताक्षर

नकल उपलब्ध कराने हेतु मांग पत्र

सेवा में,

प्रभारी लिपिक,
अभिलेखागार,

आवेदक श्री ने शिकायत/अपील संख्या
में आयोग के आदेश दिनांक की नकल उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया है। यदि
पत्रावली अभिलेखागार में संरक्षित है तो उक्त पत्रावली दिनांक तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित
करें। यदि पत्रावली संरक्षित नहीं है तो अविलम्ब सूचित करें।

प्रतिलिपि अनुभाग
के कार्मिक के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

अभिलेखागार कर्मी की आख्या.....

अभिलेखागार कर्मी के
हस्ताक्षर

सेवा में,

अहलमद,
सुनवाई कक्ष.....

अभिलेखागार कर्मी श्री की आख्या दिनांक के अनुसार उपरोक्त
वर्णित आवेदन से सम्बन्धित पत्रावली अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। अतः आवेदित नकल दिनांक
तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नकल आवेदन की छायाप्रति सलंग्न है।

प्रतिलिपि अनुभाग के कार्मिक
के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

परिषिष्ट-5

नकल आवेदन पत्रों के निस्तारण का विवरण

माह — वर्ष —

सुनवाई कथ/अभिलेखागार	माह के प्रारम्भ में प्रतीलिपि अनुभाग द्वारा प्रेषित अनिस्तारित नकल आवेदन पत्रों की संख्या	माह में प्रतीलिपि अनुभाग द्वारा प्रेषित नकल आवेदन पत्रों की संख्या	माह में निस्तारित नकल आवेदन पत्रों की संख्या	माह के अंत में लाभित नकल आवेदन पत्रों की संख्या
एस-1				
एस-2				
एस-3				
एस-4				
एस-5				
एस-6				
एस-7				
एस-8				
एस-9				
एस-10				
एस-11				
अभिलेखागार				
कुल योग				

प्रतीलिपि अनुभाग के कार्मिक का हस्ताक्षर

मुख्य सूचना आयुक्त की टिप्पणी/आदेश

रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर